(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV – XTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REV-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIT, I.P. ESTATE , NEW DELHI – 110002.

No.F.10(8)/Fin(Rev-I)/2010-11/ DS-II/247 Dated: the 07.6.2011.

NOTIFICATION

No.F.10 (8)/Fin(Rev-I)/2010-11/ .- In exercise of the powers conferred by section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to further amend the Delhi Excise Rules, 2010, namely:-

Short title and commencement .-	1.	(1)	These rules may be called the Delhi Excise (Second Amendment) Rules, 2011
		(2)	They shall come into force with effect from 1st July, 2011.
Insertion of new Chapter-X	2		In the Delhi Excise Rules,2010, after Chapter-IX, the following Chapter comprising of rules 152,153 and 154 shall be inserted, namely:-

"CHAPTER-X
Fiscal Measures

152. **Rate of Duty** . – Duty on all excisable articles shall be ad-valorem on wholesale price at the following rates, namely:-

(1) **Indian Liquor and Foreign Liquor**

(i) Indian Liquor (Whisky, Rum, Gin, Vodka, Brandy)-

Whole sale price (WSP) slab	**Wholesale price(WSP) per Quarts of 750 ml (in Rupees)**	**Duty @ of wholesale price**
1	Up to 24	250 per cent
2	Above 24 to 50	Duty for maximum WSP in slab 1 + 170 percent of amount by which WSP exceeds Rs.24.
3	Above 50 to 250	Duty for maximum WSP in slab 2 +80 percent of amount by which WSP exceeds Rs.50 .
4	Above 250 to 750	Duty for maximum WSP in slab 3 + 65 percent of amount by which WSP exceeds Rs.250.
5	Above 750	Duty for maximum WSP in slab 4 +30 percent of amount by which WSP exceeds Rs.750.

(ii) Indian Wine and Liqueur -

Whole sale price (WSP) slab	**Wholesale price (WSP) per Quarts of 750 ml (in Rupees)**	**Duty @ of wholesale price**
1	Up to 100	65 per cent
2	Above 100 to 250	Duty for maximum WSP in slab 1+ 40 percent of amount by which WSP exceeds Rs.100.
3	Above 250	Duty for maximum WSP in slab 2+ 30 percent of amount by which WSP exceeds Rs.250.

(iii) Indian Beer, Cider and Alcopop -

S.No.	Category	Duty @ of wholesale price
1.	Beer, Cider and Alcopop containing 5 percent or less alcohol v/v having Maximum Retail Price(MRP) up to Rs.100 per quarts of 650 ml	110 percent
2.	Beer, Cider and Alcopop containing more than 5 percent alcohol v/v but not exceeding 8 percent alcohol having Maximum Retail Price(MRP) up to Rs.100 per quarts of 650 ml	120 percent
3.	Beer having Maximum Retail Price (MRP) more than Rs.100 per quarts of 650 ml.	120 percent

(iv) Foreign Liquor (Whisky, Rum, Vodka, Gin, Brandy) -

Whole sale price(WSP) slab	Wholesale price (WSP) per Quarts of 750 ml (in Rupees)	Duty @ of wholesale price
1	Up to 1000	85 per cent
2	Above 1000	Duty for maximum WSP in slab 1 + 50 percent of amount by which WSP exceeds Rs.1000.

(v) Foreign Liquor (Wine, Liqueur, Beer and Cider) -

Whole sale price(WSP) slab	Wholesale price (WSP) per Quarts of 750 ml (in Rupees)	Duty @ of wholesale price
1	Up to 1000	65 per cent
2	Above 1000	Duty for maximum WSP in slab 1 + 50 percent of amount by which WSP exceeds Rs.1000.

Provided that the amount of duty payable shall be subject to the provisions of rule 54 of the Delhi Excise Rules, 2010:

Provided further that the duty payable in respect of packings other than quarts i.e. 750 ml/700ml/650 ml as applicable, shall be levied proportionately:

(2) **Country Liquor** - Duty @ 200% of Whole Sale Price.

(3) **Spirituous Preparations, including essence but other than Medicinal and Toilet preparations –** Duty @ 20% of Whole Sale Price.

(4) **Bhang -** Duty @ Rs.5/- per Kilogram.

153. **Rate of duty for consumption "on" the premises and for sale through Canteen Stores Department (CSD).–** (1) For consumption "on" the premises of Licences in forms L-17, L-18, L-19, L-20, L-28, L-29, an additional duty at the rate of twenty percent of whole sale price over and above the duty prescribed for Indian Liquor as in Clauses (i), (ii) and (iii) of sub-rule (1) of rule 152 shall be levied subject to the maximum rates as set forth in the Schedule under section 27 of the Act;

(2) For consumption "on" the premises of Licences in forms L-15, L-16, L-21, an additional duty at the rate of thirty percent of whole sale price over and above the duty prescribed for Indian Liquor as in Clauses (i), (ii) and (iii) of sub-rule (1) of rule 152 shall be levied subject to the maximum rates as set forth in the Schedule under section 27 of the Act;

(3) For sale of Indian Liquor and Foreign Liquor through the Canteen Stores Department (holders of licence in form L-23/L-23F), the rate of duty shall be fifty percent of the rate of duty prescribed in Clauses-(i), (ii) and (iii) and seventy five percent of the rate of duty mentioned in Clauses-(iv) and (v) of sub rule (1) of Rule 152.

154. **Rates of fee .-** The following shall be the rates of licence fee, label registration fee and other fees leviable in respect of excisable articles for various categories of Licences -

(1) Licence Fee for wholesale vend of Indian Liquor, wholesale vend of Foreign Liquor and wholesale vend of Country Liquor -

(a) The license fee for the licenses in form L-1, L-1F, L-3, L-31, L-32 and L-33 shall be prescribed in the terms and conditions approved by the Government for each year as provided under rule 34(1) of the Delhi Excise Rules, 2010.

(b) The Licence fee for each additional sourcing for the approved brands of Indian Liquor shall be Rs.5 Lacs per brand in addition to the prescribed Licence fee.

(2) Licence Fees for Other Category of Licences -

Sl. Nos.	Reference of Rule	Forms of Licence	Description of Licences	Annual Licence fee (in Rs)
1.	32(1)	L-2	Wholesale vend of Draught Beer	50,000
2.	32(1)	L-4	Wholesale vend of Rectified spirit	25,000
3.	32(1)	L-5	Wholesale vend of Denatured spirit including special denatured spirit.	25,000
4.	32(1)	L-6	Retail vend of Indian Liquor in public sector	2,50,000
5.	32(1)	L-6FG	Retail vend of Foreign Liquor in public sector to the holders of licence in form L-6 .	Ten percent of licence fee applicable for L-6 licence
6.	32(1)	L-6FE	Retail vend of Foreign Liquor in public sector.	2,00,000

7.	32(1)	L-7	Retail vend of Indian Liquor in private sector	8,00,000
8.	32(1)	L-7FG	Retail vend of Foreign Liquor in private sector to the holders of licence in form L-7.	Ten percent of licence fee applicable for L-7 licence
9.	32(1)	L-7FE	Retail vend of Foreign Liquor in private sector	6,00,000
10.	32(1)	L-8	Retail vend of Country Liquor in public sector	1,00,000
11.	32(1)	L-9	Retail vend of Indian Liquor to holders of licence in form L-1.	10,00,000
12.	32(1)	L-10	Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls	6,00,000
13.	32(1)	L-11	Retail vend of Beer, manufactured by Microbrewery.	2,50,000
14.	32(1)	L-12	Retail vend of Beer and Wine in Departmental Stores.	2,00,000
15.	32(1)	L-12F	Retail vend of Foreign Beer and Wine in Departmental Stores to the holders of licence in form L-12.	Ten percent of licence fee applicable for L-12 licence
16.	32(1)	L-14	Retail vend of economy Indian Liquor and Beer to holders of licence in form L-8	2,00,000

17.	32(1)	L-15	Service of Indian Liquor in a hotel or a guest house to residents in their rooms	**Hotels and Guest Houses having rooms**	**Licence Fee (in Rs.)**
				Up to 25	75,000
				26 to 50	1,00,000
				51 to 100	2,00,000
				101 to 200	3,00,000
				201 to 300	4,00,000
				301 to 400	5,00,000
				401 and above	6,00,000

<table>
<tr><td>18.</td><td>32(1)</td><td>L-15F</td><td>Service of Foreign Liquor in a hotel or a guest house to residents in their rooms to the holders of licence in form L-15.</td><td colspan="3">Ten percent of licence fee applicable for L-15 licence</td></tr>
<tr><td rowspan="8">19.</td><td rowspan="8">32(1)</td><td rowspan="8">L-16</td><td rowspan="8">Service of Indian Liquor in a bar/restaurant attached to a hotel</td><td>Category</td><td>Upto 75 covers (in Rs.)</td><td>Above 75 covers (in Rs.)</td></tr>
<tr><td>Budget Hotels</td><td>4,00,000</td><td>5,50,000</td></tr>
<tr><td>1 Star</td><td>4,25,000</td><td>6,25,000</td></tr>
<tr><td>2 Star</td><td>5,25,000</td><td>7,25,000</td></tr>
<tr><td>3 Star</td><td>5,75,000</td><td>8,00,000</td></tr>
<tr><td>4 Star</td><td>6,25,000</td><td>8,50,000</td></tr>
<tr><td>5 Star</td><td>7,50,000</td><td>10,50,000</td></tr>
<tr><td>Above 5 star</td><td>9,00,000</td><td>12,00,000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Fee for service of liquor for round the clock in a restaurant attached to hotel of 5 Star and above category shall be twice the amount of fee applicable L-16 licence.</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>32 (1)</td><td>L-16F</td><td>Service of Foreign Liquor in a bar/restaurant attached to a hotel to the holders of licence in form L-16.</td><td colspan="3">Ten percent of Licence fee applicable for L-16F licence</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>32(1)</td><td>L-17</td><td>Service of Indian Liquor in independent restaurant</td><td>having seat covers:
up to 50
51 to 100
101 to 200
201 and above</td><td colspan="2">Licence Fee
4,75,000
6,75,000
9,00,000
11,50,000</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>32 (1)</td><td>L-17F</td><td>Service of Foreign Liquor in independent restaurant to the holders of licence in form L-17.</td><td colspan="3">Ten percent of licence fee applicable for L-17 licence</td></tr>
</table>

23.	32(1)	L-18	Service of Indian wine, beer and alcopop in independent restaurant	**Having seat covers**	**Licence Fee**
				Upto 50	2,50,000
				51-100	3,50,000
				101-200	4,50,000
				201 and above	5,50,000

24.	32(1)	L-18F	Service of Foreign wine, beer and alcopop in independent restaurant to the holders of licence in form L-18.	Ten percent of licence fee applicable for L-18 licence	
25.	32(1)	L-19	Round the clock service of Indian Liquor in independent restaurant located either in arrival or departure area of International Airport.	Having Seat Covers	
				up to 50	9,50,000
				51 to 100	13,50,000
				101 to 200	18,00,000
				201 and above	23,00,000
26.	32(1)	L-19F	Round the clock service of Foreign Liquor in independent restaurant located either in arrival or departure area of International Airport to the holders of licence in form L-19.	Ten percent of licence fee applicable for L-19 licence	

27.	32(1)	L-20	Service of Indian Liquor in a bar/dining car in a luxury train.	1,00,000
28.	32(1)	L-20F	Service of Foreign Liquor in a bar/dining car in a luxury train to the holders of licence in form L-20.	Ten percent of licence fee applicable for L-20 licence

29.	32(1)	L-21	Round the clock service/sale of Indian Liquor in a bar attached to a hotel located either in arrival or departure area of International Airport	**Category** 4 star 5 star and above	**up to 75 covers** 14,00,000 15,00,000	**above 75 covers** 18,00,000 20,00,000
30.	32(1)	L-21F	Round the clock service/sale of Foreign Liquor in a bar attached to a hotel located either in arrival or departure area of International Airport to the holders of licence in form L-21	Ten percent of licence fee applicable for L-21 licence		

31.	32(1)	L-22	Retail vend of Indian Liquor in duty free shop for consumption "off" the premises located at departure Lounge of International Airport		2,50,000
32.	32(1)	L-23	Retail vend of Indian Liquor in military canteen		NIL
33.	32(1)	L-23F	Retail vend of Foreign Liquor in military canteen to the holders of licence in form L-23.		NIL
34.	32(1)	L-24	Retail vend of Medicated Wine		1000
35.	32 (1)	L-25	Retail vend of Denatured Spirit including denatured Spirit	for possession limit up to 1000 BL	2000
				for possession limit more than 1000 BL	5000
36.	32(1)	L-26	Retail vend of Rectified Spirit		5000
37.	32(1)	L-27	Retail vend of Bhang		5000
38.	32 (1)	L-28	Service of Indian Liquor in a club	having membership: (a) up to 800 (b) 801 to 1,500 (c) More than 1,500	75,000 100,000 2,00,000

39.	32(1)	L-28F	Service of Foreign Liquor in a club to the holders of licence in form L-28	Ten percent of licence fee applicable for L-28 Licence
40.	32(1)	L-29	Service of Indian Liquor at a club/mess whose membership is exclusively for Government servants, retired Government servants, including members of armed forces, serving or retired and such a club/mess is not run on commercial lines.	7,500
41.	32 (1)	L-29F	Service of Indian Liquor at a club/mess whose membership is exclusively for Government servants, retired Government servants, including member of armed forces, serving or retired and such a club/mess is not run on commercial lines to the holders of licence in form L-29.	Ten percent of licence fee applicable for L-29 Licence

42.	66(10), (11), (16), and (17)		Additional area for the holders of licence in form L-16,L-16F, L-17, L-17F, L-18, L-18F, L-19, L-19F, L-21, L-21F, 28, L-28F, L-29, L-29F		Additional seventy five percent of the regular licence fee for the corresponding licences.
43.	32(1)	L-30	Licence for possession of liquor at home in excess of individual possession limit.		3,000
44.	32(1)	L-34	Licence for Warehouse for storage of denatured spirit		20,000
45.	32(1)	L-35	Licence for Warehouse for storage of rectified spirit		30,000
46.	51(2)		Additional storage space for holder of licences of retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor and Country Liquor.		Ten percent of the corresponding licence fee per month.
47.	32 (1)	L-36	Licence to a registered medical practitioner, chemist/druggist for sale of Intoxicating Spirituous Preparations.		5,000
48.	32(1) and 66 (18)	L-37	Licence for Hotel Management Institutes for keeping liquor for the purpose of training		25,000

(3) The **'label registration fee'** for the brands of Indian Liquor, Foreign Liquor and Country Liquor shall be prescribed in the terms and conditions approved by the Government for each year as provided under Sub-Rule (1) of Rule 34 of the Delhi Excise Rules, 2010.

<u>(4) Other fees (Permit/Pass/Import/Export)-</u>

Sl. Nos.	**Rule**	**Form of Permit/ Pass**	**Description**	**Fee (in Rs)**
1.	71	P-1	Permit for Import of rectified spirit, denatured spirit and special denatured spirit	a) Rs.5/- per 20 bulk litre of rectified spirit. b) Rs.2/- per bulk litre of denatured spirit and special denatured spirit.
2.	79(2)	P-2	Permit for possession of denatured spirit exceeding five litres up to ten litres.	100
3.	81(1)	P-3	Permit for possession of denatured spirit exceeding ten litres.	500
4.	81(4)	P-4	Permit for possession of special denatured spirit in bulk quantity.	2,000
5.	77	P-5	Permit for possession of rectified spirit to educational institutions etc.	250
6.	78	P-6	Permit for possession of special denatured spirit by Industrial manufacturers	50,000
7.	126(2)	P-7	Permit for possession of intoxicating spirituous preparations	5000

8.	127	P-8	Permit for Import or transport of intoxicating spirituous preparations	Rs.1/- per litre
9.	19	P-9	Permit for Import of Indian Liquor and Country Liquor for troops.	250
10.	20(1) (c)	P-10	Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a place other than the licensed premises	5,000
11.	44(1)	P-11	Permit for liquor exhibitors.	25,000
12.	114	P-12	Permit for import, export or transport of bhang.	Rs.3 per kg. or part thereof
13.	44(2)	P-13	Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a temporary place at hotel, club and restaurant.	5,000
14.	15	P-14	a) Fee for Import of Indian Liquor(other than economy) for holder of L-1 licence, excluding beer	Rs. 5.00 per litre
			b)Fee for Import of Indian Liquor having MRP upto Rs.120/- for holder of L-1 licence excluding beer	Rs.1.25 per litre
15.	94		Fee for opening of warehouse beyond prescribed hours or on dry days	Rs. 5,000/- per occasion
16.	138 and 143		Fee for filing Appeal, Review and Revision	Rs.500/- per occasion

By order and in the name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(S.K. SAHA)
Deputy Secretary (Finance)

No.F.10(8)/Fin(Rev-I)/2010-11/ DSII/957 Dated: the 07-6- 2011.

Copy to:-

1. The Principal Secretary(GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Commissioner (Excise), Govt. of NCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi.
3. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Deputy Secretary (L & J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. Web Site.
6. Guard File.

(S.K. SAHA)
Deputy Secretary (Finance)

(दिल्ली के असाधारण राजपत्र के भाग 4 में प्रकाशित किया जाये)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

सं.एफ.10(8)/वित्त(राज.–1)/2010–11/ दिनांक 2011

अधिसूचना

सं.एफ.10(8)/वित्त(राज.–1)/2010–11/ .–दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा दिल्ली आबकारी नियम, 2010 में और संशोधन करने के लिए निम्नांकित नियम बनाती है, अर्थात :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होने की तारीख	1	(1)	इन नियमों को दिल्ली आबकारी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 कहा जायेगा।
		(2)	ये नियम 1 जुलाई, 2011 से लागू होंगे।
नया अध्याय–10 शामिल किया जाना	2		दिल्ली आबकारी नियम, 2010 में अध्याय–9 के बाद नियम 152, 153 और 154 से युक्त निम्नांकित अध्याय शामिल किया जाये, अर्थात् :–

अध्याय–10

वित्तीय उपाय

नियम 152. **शुल्क की दर.** – आबकारी योग्य सभी वस्तुओं पर शुल्क थोक मूल्य पर निम्नलिखित दरों से मूल्यानुसार लगाया जाएगा:–

(1) भारतीय शराब और विदेशी शराब

(i) भारतीय शराब (व्हिस्की, रम, जिन, वोदका, ब्रांडी)–

थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) वर्ग	थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) प्रति 750 मि.ली. क्वार्ट (रुपये में)	थोक बिक्री मूल्य पर शुल्क की दर
1	24 तक	250 प्रतिशत
2	24 से अधिक एवं 50 तक	वर्ग 1 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 24 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 170 प्रतिशत.
3	50 से अधिक एवं 250 तक	वर्ग 2 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 50 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 80 प्रतिशत.
4	250 से अधिक एवं 750 तक	वर्ग 3 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 250 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 65 प्रतिशत.
5	750 से ऊपर	वर्ग 4 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 750 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 30 प्रतिशत

(ii) भारतीय वाइन और लिकियर–

थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) वर्ग	थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) प्रति 750 मि.ली. क्वार्ट (रुपये में)	थोक बिक्री मूल्य पर शुल्क की दर
1	100 तक	65 प्रतिशत
2	100 से अधिक एवं 250 तक	वर्ग 1 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 100 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 40 प्रतिशत
3	250 से ऊपर	वर्ग 2 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 250 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 30 प्रतिशत

(iii) भारतीय बीअर, साइडर और एल्कोपॉप–

क्रमांक	श्रेणी	थोक बिक्री मूल्य पर शुल्क की दर
1	5 प्रतिशत या कम अल्कोहल वी/वी वाली बीअर, साइडर और एल्कोपॉप के मामले में 100 रुपये तक के अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू.) के 650 मि.ली. के प्रति क्वार्ट पर	110 प्रतिशत
2	5 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वी/वी वाली, किन्तु 8 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वाली नहीं, बीअर, साइडर और एल्कोपॉप के मामले में 100 रुपये तक के अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू) के 650 मि.ली. के प्रति क्वार्ट पर	120 प्रतिशत
3	बीयर के मामले में 100 रुपये अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू.) से अधिक के 650 मि.ली. के प्रति क्वार्ट पर	120 प्रतिशत

(iv) विदेशी शराब (व्हिस्की, रम, जिन, वोदका, ब्रांडी)–

थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) वर्ग	थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) प्रति 750 मि.ली. क्वार्ट (रुपये में)	थोक बिक्री मूल्य पर शुल्क की दर
1	1000 तक	85 प्रतिशत
2	1000 से ऊपर	वर्ग 1 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 1000 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 50 प्रतिशत

(v) विदेशी शराब (वाइन, लिकियर, बीयर और साइडर)–

थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) वर्ग	थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) प्रति 750 मि.ली. क्वार्ट (रुपये में)	थोक बिक्री मूल्य पर शुल्क की दर
1	1000 तक	65 प्रतिशत
2	1000 से ऊपर	वर्ग 1 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 1000 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 50 प्रतिशत

परन्तु, देय शुल्क की राशि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 54 के प्रावधानों के अधीन होगी;

परन्तु, यह और भी कि 750 मि.ली./700 मि.ली./650 मि.ली., जो भी लागू हो, के क्वार्ट से भिन्न पैकेजिंग के संदर्भ में देय शुल्क अनुपात में लगाया जायेगा।

(2) **देशी शराब** – थोक बिक्री मूल्य पर 200 प्रतिशत की दर से शुल्क।

(5) **चिकित्सीय और प्रसाधन प्रीपेरेशन्स के सिवाय एसेन्स सहित स्पिरिट युक्त प्रीपेरेशन्स** – थोक बिक्री मूल्य पर 20 प्रतिशत की दर से शुल्क।

(6) **भांग** – रुपये 5/– प्रति किलोग्राम की दर से शुल्क।

153. परिसरों "पर" उपभोग और कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) के माध्यम से बिक्री के लिए शुल्क की दर–(1) एल–17, एल–18, एल–19, एल–20, एल–28, एल–29 प्ररूपों में लाइसेंस धारकों के परिसरों "पर" उपभोग के लिए थोक बिक्री मूल्य पर नियम 152 के उप–नियम (1) के खंड (i), (ii) और (iii) में निर्धारित शुल्क की दर के ऊपर और अलावा 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाया जायेगा, परन्तु उसकी अधिकतम दर अधिनियम की धारा 27 में वर्णित अधिकतम दरों के अधीन होगी;

(2) एल–15, एल–16 और एल–21 प्ररूपों में लाइसेंस धारकों के परिसरों "पर" उपभोग के लिए थोक बिक्री मूल्य पर नियम 152 के उप–नियम (1) के खंड (i), (ii) और (iii) में निर्धारित शुल्क की दर के ऊपर और अलावा 30 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाया जायेगा, परन्तु उसकी अधिकतम दर अधिनियम की धारा 27 में वर्णित अधिकतम दरों के अधीन होगी;

(3) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) के ज़रिए भारतीय शराब और विदेशी शराब की बिक्री (प्ररूप एल–23/एल–23एफ में लाइसेंस धारकों) पर लगाए जाने वाले शुल्क की दर नियम 152 के उपनियम (1) के खंड (i), (ii) और (iii) में निर्धारित शुल्क का पचास प्रतिशत और नियम 152 के उपनियम (1) के खंड (iv) और (v) में निर्धारित शुल्क का पचहत्तर प्रतिशत होगी।

154 **फीस की दरें**– विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंसों के अंतर्गत आबकारी शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तुओं पर लाइसेंस फीस, लेबल पंजीकरण फीस, और अन्य फीस की दरें इस प्रकार होंगी–

(1) **भारतीय शराब की थोक दुकान, विदेशी शराब की थोक दुकान और देशी शराब की थोक दुकान के लिए लाइसेंस फीस**–

(क) प्ररूप एल–1, एल–1एफ, एल–3, एल–31, एल–32 और एल–33 में लाइसेंसों के लिए लाइसेंस फीस दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 34(1) के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(ख) भारतीय शराब के अनुमोदित ब्रैन्डों के मामले में प्रत्येक अतिरिक्त सोर्सिंग के लिए लाइसेंस फीस निर्धारित लाइसेंस फीस के अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रति ब्रांड होगी।

(2) लाइसेंसों की अन्य श्रेणियों के लिए लाइसेंस फीस--

क्र.सं.	नियम	लाइसेंस का प्ररूप	लाइसेंसों का विवरण	लाइसेंस फीस प्रति वर्ष (रु. में)
1	32(1)	एल--2	ड्रॉफ्ट बीयर की थोक दुकान।	50,000
2	32(1)	एल--4	रेक्टिफाइड स्पिरिट की थोक दुकान।	25,000
3	32(1)	एल--5	विशेष डीनैचर्ड स्पिरिट सहित डीनैचर्ड स्पिरिट की थोक दुकान।	25,000
4	32(1)	एल--6	सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय शराब की खुदरा दुकान।	2,50,000
5	32(1)	**एल--6एफजी**	एल--6 प्ररूप में लाइसेंस वाली सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी शराब की खुदरा दुकान।	एल--6 की लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत
6	32(1)	**एल--6एफई**	सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी शराब की खुदरा दुकान।	2,00,000
7	32(1)	एल--7	निजी क्षेत्र में भारतीय शराब की खुदरा दुकान।	8,00,000
8	32(1)	**एल--7एफजी**	एल--7 प्ररूप में लाइसेंस धारकों के लिए निजी क्षेत्र में विदेशी शराब की खुदरा दुकान।	एल--7 की लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत
9	32(1)	**एल--7एफई**	निजी क्षेत्र में विदेशी शराब की खुदरा दुकान।	6,00,000
10	32(1)	एल--8	सार्वजनिक क्षेत्र में देशी शराब की खुदरा दुकान।	1,00,000

11	32(1)	एल–9	प्ररूप एल–1 में लाइसेंस धारकों के लिए भारतीय शराब की खुदरा दुकान।		10,00,000
12	32(1)	एल–10	शॉपिंग मॉल्स में भारतीय शराब और विदेशी शराब की खुदरा दुकान।		6,00,000
13	32(1)	एल–11	माइक्रोब्रुअरी द्वारा विनिर्मित बीअर की खुदरा दुकान।		2,50,000
14	32(1)	एल–12	डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीअर और वाइन की खुदरा दुकान।		2,00,000
15	32(1)	एल–12एफ	एल–12 प्ररूप में लाइसेंस धारकों के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में विदेशी बीअर और वाइन की खुदरा दुकान।	एल–12 लाइसेंस की फीस का 10 प्रतिशत	
16	32(1)	एल–14	एल–8 प्ररूप में लाइसेंस धारकों के लिए इकोनमी भारतीय शराब और बीयर की खुदरा दुकान।		2,00,000
17	32(1)	एल–15	किसी होटल या गेस्ट हाउस में ठहरे लोगों को उनके कमरों में भारतीय शराब परोसना।	निम्नांकित अनुसार कमरों वाले होटल और गेस्ट हाउस	
				25 तक	75,000
				26 से 50	1,00,000
				51 से 100	2,00,000
				101 से 200	3,00,000
				201 से 300	4,00,000
				301 से 400	5,00,000
				401 और उससे अधिक	6,00,000

<table>
<tr><td>18</td><td>32(1)</td><td>एल–15एफ</td><td>प्ररूप एल–15 लाइसेंस धारकों को किसी होटल या गेस्ट हाउस में ठहरे लोगों को उनके कमरों में विदेशी शराब परोसना।</td><td colspan="3">एल–15 के लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत</td></tr>
<tr><td rowspan="8">19.</td><td rowspan="8">32(1)</td><td rowspan="8">एल–16</td><td rowspan="8">किसी होटल से संबद्ध बार/रेस्तरां में भारतीय शराब परोसना।</td><td>श्रेणी</td><td>75 कवर्स तक (रुपये)</td><td>75 कवर्स से ऊपर (रुपये)</td></tr>
<tr><td>बजट होटल</td><td>4,00,000</td><td>5,50,000</td></tr>
<tr><td>1 स्टार</td><td>4,25,000</td><td>6,25,000</td></tr>
<tr><td>2 स्टार</td><td>5,25,000</td><td>7,25,000</td></tr>
<tr><td>3 स्टार</td><td>5,75,000</td><td>8,00,000</td></tr>
<tr><td>4 स्टार</td><td>6,25,000</td><td>8,50,000</td></tr>
<tr><td>5 स्टार</td><td>7,50,000</td><td>10,50,000</td></tr>
<tr><td>5 स्टार से ऊपर</td><td>9,00,000</td><td>12,00,000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">किसी 5 सितारा होटल या उससे ऊपर की श्रेणी से संबद्ध रेस्तरां में चौबीसों घंटे शराब परोसने के लिए फीस एल–16 लाइसेंस फीस की दुगनी होगी।</td></tr>
<tr><td>20</td><td>32(1)</td><td>एल–16एफ</td><td>प्ररूप एल–16 में लाइसेंस धारकों को होटल से संबद्ध बार/रेस्तरां में विदेशी शराब परोसना।</td><td colspan="3">एल–16एफ की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत</td></tr>
</table>

21	32(1)	एल–17	स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय शराब परोसना।	सीट कवर्स	लाइसेंस फीस
				50 तक	4,75,000
				51 से 100	6,75,000
				101 से 200	9,00,000
				201 और उससे ऊपर	11,50,000
22	32(1)	**एल–17एफ**	एल–17 प्ररूप में लाइसेंस धारकों को स्वतंत्र रेस्तरां में विदेशी शराब परोसना।	एल–17 की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत	
23	32(1)	एल–18	स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय वाइन, बीअर और अल्कोपॉप परोसना।	सीट कवर्स	लाइसेंस फीस
				50 तक	2,50,000
				51 से 100	3,50,000
				101 से 200	4,50,000
				200 से ऊपर	5,50,000
24	32(1)	**एल–18एफ**	एल–18 प्ररूप में लाइसेंस धारकों को स्वतंत्र रेस्तरां में विदेशी वाइन, बीअर और अल्कोपॉप परोसना।	एल–18 की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत	
25	32(1)	एल–19	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र रेस्तरां में चौबीसों घंटे भारतीय शराब परोसना।	सीट कवर्स	लाइसेंस फीस
				50 तक	9,50,000
				51 से 100	13,50,000
				101 से 200	18,00,000
				200 से ऊपर	23,00,000

26	32(1)	एल–19एफ	प्ररूप एल–19 में लाइसेंसधारकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र रेस्तरां में चौबीसों घंटे विदेशी शराब परोसना।	एल–19 की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत।
27	32(1)	एल–20	लग्जरी ट्रेन के बार/डाइनिंग कार में भारतीय शराब परोसना।	1,00,000
28	32(1)	**एल–20एफ**	प्ररूप एल–20 के लाइसेंस धारकों को लग्जरी ट्रेन के बार/डाइनिंग कार में विदेशी शराब परोसना।	एल–20 की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत
29	32(1)	एल–21	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान या आगमन क्षेत्र में स्थित होटल से संबद्ध बार में भारतीय शराब की चौबीसों घंटे सर्विस/बिक्री।	**श्रेणी** | **75 कवर्स तक** | **75 कवर्स से ऊपर** 4 स्टार | 14,00,000 | 18,00,000 5 स्टार और उससे ऊपर | 15,00,000 | 20,00,000
30	32(1)	**एल–21एफ**	प्ररूप एल–21 के लाइसेंस धारकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान या आगमन क्षेत्र में स्थित होटल से संबद्ध बार में विदेशी शराब की चौबीसों घंटे सर्विस/बिक्री।	एल–21 की लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत

31	32(1)	एल–22	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान क्षेत्र में स्थित शुल्क मुक्त दुकान परिसर में "बाहर" सेवन के लिए भारतीय शराब की खुदरा दुकान।		2,50,000
32	32(1)	एल–23	मिलिटरी कैंटीन में भारतीय शराब की खुदरा दुकान।		शून्य
33	32(1)	**एल–23एफ**	प्ररूप–23 के लाइसेंस धारकों के लिए मिलिटरी कैंटीन में विदेशी शराब की खुदरा दुकान।		शून्य
34	32(1)	एल–24	मेडिकेटिड वाइन की खुदरा दुकान।		1000
35	32(1)	एल–25	स्पेशल डीनैचर्ड स्पिरिट सहित डीनैचर्ड स्पिरिट की खुदरा दुकान।	1000बीएल तक धारण सीमा के लिए	2000
				1000बीएल से अधिक धारण सीमा के लिए	5000
36	32(1)	एल–26	रेक्टिफाइड स्पिरिट की खुदरा दुकान।		5000
37	32(1)	एल–27	भांग की खुदरा दुकान।		5000

38	32(1)	एल–28	क्लब में भारतीय शराब परोसना।	सदस्य संख्या	
				(क) 800 तक	75,000
				(ख) 801से 1500	1,00,000
				(ग) 1,500 से अधिक	2,00,000
39	32(1)	एल–28एफ	एल–28 प्ररूप के लाइसेंस धारकों को किसी क्लब में विदेशी शराब परोसना।	एल–28 की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत	
40	32(1)	एल–29	ऐसे क्लब/मैस में भारतीय शराब परोसना जिसकी सदस्यता सशस्त्र सेनाओं के सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्यों सहित सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए सीमित है और क्लब/मैस वाणिज्यिक आधार पर नहीं चलाया जाता है।	7,500	
41	32(1)	एल–29एफ	प्ररूप एल–29 के लाइसेंस धारकों को ऐसे क्लब/मैस में विदेशी शराब परोसना जिसकी सदस्यता सशस्त्र सेनाओं के सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्यों सहित सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए सीमित है और क्लब/मैस वाणिज्यिक आधार पर नहीं चलाया जाता है.	प्ररूप एल–29 की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत।	

42	66(10), (11), (16) और (17)		एल–16, एल–16एफ, एल–17, एल–17एफ, एल–18, एल–18 एफ, एल–19, एल–19एफ, एल –21,एल–21एफ, एल–28, एल –28एफ, एल–29, एल–29 एफ प्ररूपों के लाइसेंस धारकों के लिए अतिरिक्त क्षेत्र।	तदनुरूप लाइसेंसों के लिए नियमित लाइसेंस फीस का 75 प्रतिशत अतिरिक्त।
43	32(1)	एल–30	व्यक्तिगत धारण सीमा से अधिक मात्रा में शराब घर में रखने का लाइसेंस।	3,000
44	32(1)	एल–34	डीनैचर्ड स्पिरिट की स्टोरेज के लिए गोदाम हेतु लाइसेंस।	20,000
45	32(1)	एल–35	रेक्टिफाइड स्पिरिट की स्टोरेज के लिए गोदाम हेतु लाइसेंस।	30,000
46	51(2)		भारतीय शराब, विदेशी शराब और देशी शराब की खुदरा दुकान के लाइसेंस धारकों के लिए अतिरिक्त भंडारण स्थान।	तदनुरूप लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत प्रति माह.
47	32(1)	एल–36	रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर, केमिस्ट/ड्रगिस्ट को इन्टाक्सिकेटिंग स्पिरिटस प्रीपेरेशन्स की बिक्री के लिए लाइसेंस।	5000
48	32(1) और 66 (18)	एल–37	होटल प्रबंधन संस्थानों को प्रशिक्षण के प्रयोजन से शराब रखने का लाइसेंस।	25,000

(3) भारतीय शराब, विदेशी शराब और देशी शराब के ब्रैंडों के लिए **लेबल पंजीकरण** फीस दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 34 के उप–नियम (1) के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(4) अन्य फीस (परमिट/पास/आयात/निर्यात)

क्र.स.	नियम	परमिट/पास का प्ररूप	विवरण	फीस (रुपये में)
1	71	पी–1	रेक्टिफाइड स्पिरिट, डीनैचर्ड स्पिरिट और स्पेशल डीनैचर्ड स्पिरिट के आयात के लिए परमिट।	क) रेक्टिफाइड स्पिरिट के प्रति 20 बॅल्क लीटर– रुपये 5/– ख) डीनैचर्ड स्पिरिट और स्पेशल डीनैचर्ड स्पिरिट के प्रति बॅल्क लीटर– रुपये 2/–
2	79 (2)	पी–2	पांच लीटर से अधिक तथा दस लीटर तक डीनैचर्ड स्पिरिट रखने के लिए परमिट।	100
3	81(1)	पी–3	दस लीटर से अधिक डीनैचर्ड स्पिरिट रखने के लिए परमिट।	500
4	81(4)	पी–4	बॅल्क मात्रा में विशेष डीनैचर्ड स्पिरिट रखने के लिए परमिट।	2000
5	77	पी–5	शैक्षिक संस्थानों, आदि में रेक्टिफाइड स्पिरिट रखने के लिए परमिट।	250
6	78	पी–6	औद्योगिक विनिर्माताओं द्वारा विशेष डीनैचर्ड स्पिरिट रखने के लिए परमिट।	50,000
7	126(2)	पी–7	इन्टाक्सिकेटिंग स्पिरिटस प्रीपेरेशन्स रखने के लिए परमिट।	5000

8	127	पी–8	इन्टाक्सिकेटिंग स्पिरिटस प्रीपेरेशन्स के आयात या परिवहन के लिए परमिट।	रुपये 1/– प्रति लीटर।
9	19	पी–9	सैनिकों के लिए भारतीय शराब और देसी शराब के आयात के लिए परमिट।	250
10	20(1) (सी)	पी–10	लाइसेंसीकृत परिसर से भिन्न स्थान पर भारतीय शराब और विदेशी शराब परोसना।	5000
11	44(1)	पी–11	शराब प्रदर्शकों के लिए परमिट।	25,000
12	114	पी–12	भांग के आयात, निर्यात या परिवहन के लिए परमिट।	रु.3/– प्रति कि.ग्रा. या उसके प्रत्येक हिस्से के लिए.
13	44(2)	पी–13	होटल, क्लब और रेस्तरां में किसी अस्थायी स्थान पर भारतीय शराब और विदेशी शराब परोसना।	5000
14	15	पी–14	क) बीयर को छोड़ कर भारतीय शराब (इकोनामी के सिवाय) के आयात के लिए एल–1 लाइसेंस धारक के लिए फीस।	रुपये 5/– प्रति लीटर।
			ख) बीयर को छोड़ कर 120/– रुपये तक अधिकतम खुदरा मूल्य वाली भारतीय शराब के आयात के लिए एल–1 लाइसेंसधारक के लिए फीस।	रुपये 1.25/– प्रति लीटर।

15	94		निर्धारित घंटों से परे अथवा शुष्क दिवसों पर गोदाम खोलने के लिए फीस।	रुपये 5000/— प्रति अवसर।
16	138 और 143		अपील, समीक्षा और संशोधन के लिए फीस।	रुपये 500/— प्रति अवसर।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम से,

(एस.के. साहा)
उप—सचिव (वित्त)।

संख्या एफ.10(8)/वित्त(राज.—1)/2010—11/5/[illegible]/247 दिनांक 07.6.2011

प्रतिलिपि प्रेषितः—

1. प्रधान सचिव (जीएडी), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को आज की तारीख में एक पृथक प्रति के साथ ताकि दिल्ली राजपत्र भाग—4 (असाधारण) में इसे प्रकाशित किया जा सके।
2. आयुक्त (आबकारी), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, एल—ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्री, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. उप—सचिव (विधि एवं न्याय), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. वेबसाइट.
6. गार्ड फाइल.

(एस.के. साहा)
उप—सचिव(वित्त)।